

अग्नवीर क्षैतजि आरक्षण नयिमावली, 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार ने विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में **पूर्व अग्नवीरों** के लिये 10% **क्षैतजि आरक्षण** की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्हें आयु सीमा में छूट तथा भर्ती हेतु **शारीरिक दक्षता परीक्षा** से भी छूट प्रदान की गई है।

मुख्य बद्दि

■ आरक्षण के बारे में:

- उत्तराखण्ड कार्मिक एवं सत्त्कता विभाग द्वारा **अग्नवीर क्षैतजि आरक्षण नयिमावली, 2025** अधिसूचिती कर दी गई है।
- यह कोटा राज्य के स्थायी निवासियों के लिये ग्रुप-सी वर्दीधारी सेवाओं के तहत सीधी भर्ती पर लागू होगा, जसिमें पुलसि, अग्नशिम्न, वन, जेल, आबकारी और सचविालय सेवाओं के विभिन्न पद शामिल हैं।

■ अग्नपिथ योजना

- अग्नपिथ योजना जून 2022 में **सशस्त्र बलों** के लिये अल्पकालिक भर्ती नीति के रूप में प्रारंभ की गई थी।
- इसके अंतर्गत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 वर्षों के लिये **अग्नवीर** के रूप में भर्ती किया जाता है, जनिमें से अधिकितम 25% को स्थायी कैडर में सम्मलित किया जाता है।
- अग्नवीरों को बुनियादी और विशेष सैन्य प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम भी प्रदान किया जाता है।
- सेवा-समाप्ति पर उन्हें कर-मुक्त **सेवा नधि पैकेज** मलित है, जो भविष्य के करयिर हेतु वत्तितीय सहायता उपलब्ध कराता है।
- प्रत्येक अग्नवीर को सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपये की **जीवन बीमा सुरक्षा** प्रदान की जाती है।